उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर कार्यक्रम (स्वैप कार्यक्रम) के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त विवरण

1. स्वैप कार्यक्रमः उद्देश्य

- ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता के स्तर में सुधार लाकर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के स्थायी लाभों द्वारा ग्रामीणों के जीवन में सुधार किया जाना;
- ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में दीर्घकालिक स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को उपयुक्त नीति निर्धारण में सहायता करना।

2. स्वैप कार्यक्रम : मुख्य बिन्दु

- माँग आधारित प्रणाली;
- ग्रामीण समुदाय की सहभागिता अनिवार्य;
- समुदाय द्वारा योजना का नियोजन एवम् क्रियान्वयन;
- समस्त सामग्रियों एवम् सेवाओं का क्रय ग्राम समुदाय द्वारा;
- पूंजी लागत में ग्रामीण समुदाय की आंशिक भागीदारी;
- ग्रामीण समुदाय द्वारा योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण की वचनबद्धता;
- एकीकृत रूप से पेयजल योजनायें, शौचालय निर्माण, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम तथा जल स्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य;
- महिलाओं की जल एवम् स्वच्छता सेक्टर में मुख्य भागीदारीः केन्द्र बिन्दु में महिला सशक्तिकरण।
- वृह्द क्षति आदि के मामले राजकीय सहायता अथवा स्कीम के बीमा से सहायता।

3. पूंजी लागत में समुदाय की भागीदारी

राज्य स्तर पर लाभार्थियों द्वारा पेयजल योजना की पूंजीगत लागत में दिये जाने वाले अंशदान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 836/उन्तीस/08–2 (22 पे0)/2008 दिनांक 16 जनवरी 2008 जारी किया गया है जिसके अनुसार योजनाओं की पूंजी लागत में समुदाय की भागीदारी निम्नवत निर्धारित की गई है।

	कुल भागीदारी	नकद देय	श्रमदान द्वारा
सामान्य जाति का परिवार यदि निजी जल संयोजन लेना चाहता है	600	120	480
सामान्य जाति का परिवार यदि सार्वजनिक जल स्तम्भ से लाभान्वित होना चाहता है।	300	60	240
अनुसूचित जाति एवं जनजाति का परिवार यदि निजी जल संयोजन लेना चाहता है	300	30	270
अनुसूचित जाति एवं जनजाति का परिवार यदि सार्वजनिक जल स्तम्भ से लाभान्वित होना चाहता	150	15	135

4. कार्यक्रम कियान्वयन व्यवस्थायें

राज्य स्तर पर व्यवस्थाएँ:

- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन : माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, राज्य स्तर पर नीति निर्धारण हेतु उत्तरदायी इकाई है। माननीय पेयजल मंत्री जी उपाध्यक्ष तथा संबंधित वरिष्ठ सचिव मिशन के सदस्य हैं। सचिव, पेयजल, मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सदस्य सचिव हैं। मिशन प्रमुख रूप से उत्तराखण्ड पेयजल निगम/उत्तराखण्ड जल संस्थान/परियोजना प्रबन्धन इकाई के कार्यों में सुधार/सकल क्षेत्र की समरूप नीति के सिद्वान्तों के अनुपालन का अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी है।
- राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का सचिवालय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा किये गये नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु सभी सेक्टर संस्थाओं और जिला पेयजल स्वच्छता मिशन एवं राज्य सरकार से समन्वय करेगा।

जिला स्तर पर समन्वय व्यवस्थाएँ

- जिला जल एवं स्वच्छता मिशनः जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन निम्नवत गठित की गयी हैः–

1. जिला पंचायत अध्यक्ष	पदेन अध्यक्ष
2. माननीय सांसदगण	सदस्य
3. माननीय विधायकगण	सदस्य
4. चक्रक्रमानुसार जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित तीन जिला पंचायत सदस्य 5. चक्रक्रमानुसार जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित तीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख	सदस्य
6. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
7. अधीक्षण अभियन्ता/अधीशासी अभियन्ता ,उत्तरांचल पेयजल निगम 8. अधीक्षण अभियन्ता/अधीशासी अभियन्ता, उत्तरांचल जल संस्थान	सदस्य
9. जिला शिक्षा अधिकारी 10. जिला पंचायती राज अधिकारी 11. जिला मुख्य चिकित्साधिकारी 12. जिला समाज कल्याण अधिकारी 13 उप परियोजना अधिकारी जलागम परियोजना	सदस्य
14.डी0पी0एम0यू0 (स्वजल परियोजना)	सदस्य सचिव
15. प्रभागीय वनाधिकारी 17. अधिशासी अधिकारी सिंचाई 18. अधिशासी अधिकारी लघु सिंचाई 19. अधिशासी अधिकारी, जलागम प्रबन्ध	सदस्य

जिला जल एवं स्वच्छता समिति

- मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति दैनिक कार्यों हेतु संबंधित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सहयोग देती। जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष

2. जिला मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, जनपदीय परियोजना प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, अधिशासी अभियन्ता, जनपदीय परियोजना प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड जल संस्थान, वन प्रभागाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, सिचाई, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिचाई	सदस्य
3. जिला परियोजना प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 (स्वजल परियोजना)	संयोजक / सदस्य सचिव

ग्राम पंचायत स्तर पर समन्वय व्यवस्थाएं

- ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के गठन हेतु ग्राम पंचायत ग्रामवासियों को उत्प्रेरित करती है। ग्राम पंचायत उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति की क्षमता विकास करने के साथ, योजना के चयन, स्वीकृति, वित्त प्रबन्धन, आडिट, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा विवादों का निपटारा करती है।
- उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति
- ग्राम पंचायत में प्रस्तावित उपभोक्ता समूहों (पेयजल योजनाओं) के अनुरूप उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति का गठन,
- उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति में न्यूनतम 7 और अधिकतम 12 सदस्य,
- उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति में संबंधित उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता समति में निर्वाचित जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के कक्ष सदस्य उपसमिति के पदेन सदस्य,
- ग्राम प्रधान सभी उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समितियों का पदेन अध्यक्ष,
- उप समिति द्वारा उप समिति के सदस्यों में से कोषाध्यक्ष चुना जायेगा,
- उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति में मानकों के अनुसार कम से कम 30 प्रतिशत महिला सदस्य एवं 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रतिनिधित्व,
- उप समिति द्वारा किसी बैठक में विनिश्चय करने के लिए उपसमिति के 50 प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति,
- उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति योजना के नियोजन, क्रियान्वयन, खरीदारी, कर निर्धारण एवं सामुदायिक भागीदारी, (पूंजी एवं संचालन व रख रखाव) वित्त व्यवस्था एवं आडिट की जिम्मेदार,
- समिति पर निर्माण सामग्री की खरीदारी एवं एकल ग्राम योजना (साधारण बहुल ग्राम योजनाओं के साथ) के निर्माण की जिम्मेदारी।

5. परियोजना चरणः

सैक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो में पेयजल योजनाओं के निर्माण से सम्बन्धित चार प्रमुख चरण निम्नवत हैं।

(1) पूर्व नियोजन चरण (अवधि 2 माह)

(2) नियोजन चरण (अवधि 3–6 माह)

(3) क्रियान्वयन चरण (एकल पेयजल योजनाओं की अवधि 6–18 माह, बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं की अवधि 30 माह) योजनाओं की तकनीक एवं आकार के आधार पर तथा

(4) संचालन तथा रखरखाव चरण (अवधि 4–5 माह) – योजना निर्माण के पश्चात।

पूर्व नियोजन चरण

- असेवित(NC) तथा आंशिक सेवित (PC) तोकों को पेयजल योजना के चयन में प्राथमिकता।
- पूर्व साध्यता अध्ययन के पश्चात ग्राम पंचायत/तोकों का चयन
- सहयोगी संस्थाओं का चयन

➢ **पेयजल योजनाओं की श्रेणियॉ**

श्रेणी 1 :एकल ग्राम पेयजल योजनाओं (Single Village Schemes) का क्रियान्वयन– क्रियान्वयन एजेन्सी परियोजना प्रबन्धन ईकाई, स्वजल परियोजना।

श्रेणी 2: बड़ी बहुल ग्राम परियोजनाओं (Multi-Village Schemes) का क्रियान्वयन – क्रियान्वयन एजेन्सी उत्तराखण्ड पेयजल निगम

श्रेणी 3: वर्तमान में उत्तराखण्ड पेयजल निगम तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा अनुरक्षित परियोजनाओं (अधिकांशतः एकल ग्राम परियोजनाएं) का पंचायती राज संस्थाओं को मरम्मत के उपरान्त **हस्तगत** करना **(Devolution)**।

नियोजन चरण

- सहयोगी संस्थाओं के साथ जिला क्रियान्वयन एजेन्सियों का नियोजन चरण अनुबन्ध।
- उपभोक्ताओं द्वारा चयनित पेयजल योजना के आधार पर उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों (UWSSCs) का गठन।
- उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति द्वारा पूंजीगत खाते तथा रखरखाव खाते को खोला जाना।
- चयनित पेयजल योजना का सर्वेक्षण एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को तैयार करना।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का जिला जल एवं स्वच्छता समिति/जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुमोदन।
- उपभोक्ताओं द्वारा लागत साझेदारी नियम के अनुसार सामुदायिक अंशदान का जमा करना।

क्रियान्वयन चरण।

- ग्राम पंचायत, उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति, सहयोगी संस्था एवं जिला क्रियान्वयन ईकाई के मध्य क्रियान्वयन चरण चतुर्पक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना।
- योजना निर्माण हेतु जिला क्रियान्वयन ईकाई द्वारा ग्राम पंचायत को धनराशि उपलब्ध कराना।
- ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत निधि से उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के पूंजीगत खाते में योजना धनराशि का हस्तान्तरण।
- ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक अभियन्ता एवं सामुदायिक लेखाकार के माध्यम से पेयजल योजना का निर्माण एवं लेखाओं का रखरखाव करना।
- सहयोगी संस्था की मुख्य भूमिका ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना। पेयजल योजनाओं के निर्माण में कोई भूमिका नहीं।
- स्वतन्त्र निर्माण पर्यवेक्षण एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण।
- जिला क्रियान्वयन ईकाई द्वारा सुगमकर्ता एवं अनुश्रवण की भूमिका का निर्वहन।
- क्रियान्वयन चरण समापन रिपोर्ट का निर्माण एवं लेखाओं का ऑडिट।
- जिला जल एवं स्वच्छता समिति/जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा क्रियान्वयन चरण समापन रिपोर्ट का अनुमोदन।

स्वैप कार्यक्रम : पेयजल योजनाओं का स्वीकृति स्तर

योजना का प्रकार	योजना लागत	स्वीकृति स्तर
एकल ग्राम	समस्त योजनाओं का	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
मरम्मत/हस्तान्तरण	समस्त योजनाओं का	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
बहुल ग्राम	रू0 50.0 लाख तक	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
	रू0 50.0 लाख से अधिक एवं रू0 1.0 करोड तक	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
	रू0 1.0 करोड़ से अधिक एवं रू0 5.0 करोड तक	पेयजल एवं वित्त विभाग, राज्य सरकार
	रू0 5.0 करोड से अधिक	वित्त व्यय समिति के अनुमोदन के उपरांत राज्य सरकार

रखरखाव चरण

- जिला क्रियान्वयन ईकाई द्वारा पेयजल योजना के सफल संचालन तथा रखरखाव हेतु उपभोक्ता जल आपूर्ति तथा स्वच्छता उपसमिति को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- संचालन तथा रखरखाव व्यवस्था में तकनीकी, वित्तीय तथा संस्थागत व्यवस्था को सम्मिलित करना।